तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	33/2021	

30.11.2022 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर स्थगन प्रदान करने का निवदेन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सीधी दर्ज रजिस्टर कर आगामी तारीख नियत की। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 सामलात खातेदार होने एवं राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल कर भू–माफियाओं को बेचान करने पर आमादा है। अतः अपील स्वीकर कर वादग्रस्त आराजी के संबंध मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि अपील दर्ज आदेशिका के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उक्त अपील पोषनीय नहीं होने के कारण एडमिशन स्तर पर ही निरस्तनीय है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की, किन्तु इसमें जो दादरसी चाही गई है, वह भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने से सम्बधित है। उक्त आदेशिका दिनांक 28.06.2021 को उद्धरित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसमें मातहत अदालत द्वारा यह अंकित किया है कि –

''वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण उपस्थित।

वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध गै0 सा0 अन्तर्गत धारा 212 RT ACT के तहत पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै. सा. को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली दिनांक 04.08.2021 को पेश हो। ''

इस आदेशिका में ऐसा कोई तथ्य या आदेश नहीं है, जिससे अपीलाण्ट व्यथित हो। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उक्त आदेशिका से व्यथित होने के कोई तथ्य अंकित नहीं किए है। इस अपील को प्रस्तुत करने के पीछे अपीलाण्ट की मंशा जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में व्यादेश प्राप्त करना प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की अपील की परिधि में नही पाया जाता है। ऐसी आदेशिकाओं की सीधे माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका दायर करवाने के ही प्रावधान हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के श्रवाणाधिकार की नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज योग्य थी, इसमें पारित अंतरिम व्यादेश दिनांक 06.07.2021 भी विधिक दृष्टि से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रत्याहरित किये जाने योग्य होने से प्रत्याहरित किया जाकर अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे।

बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली